पर्चा डिक्री

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0 = 312/2024

म : =

1. अमित पुत्र ईशरसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मंगतू सिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. ईशरसिंह पुत्र मंगतूसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. जसविन्द्र कौर पुत्री मंगतूसिंह पत्नी रूलदाराम जाति बावरी निवासी अबूबशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा ।
4. चितों देवी पुत्री मंगतूसिंह पत्नी मंगलसिंह जाति बावरी निवासी बणी तहसील रानिया जिला सिरसा ।
5. भागवती पुत्री ईशरसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. सुखजीत कौर पुत्री ईशरसिंह जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

दिनांक 25/10/24

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व वकील प्रतिवादी श्री करनैल सिंह अंतिम निपटारे/ र्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर ादित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कन0 चक 1 के. एच. आर के खाता सं0 177/34 में कुल 1.404 है0 में प्रतिवादी सं0 1 गतूसिंह के नाम की आराजी का वादी अमित पुत्र ईशर सिंह खातेदार काश्तकार घोषित किया ाकर चक 1 केएचआर के खाता सं0 177/34 में से मंगतूसिंह पुत्र सुन्दरसिंह का नाम लमजन किए जाने के आदेश दिए जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए जराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार ाजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि [illegible] रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय [illegible] उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकान [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/10/24 को [illegible] की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.11.08 15:53:01 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner